पत्रांक 15/एम 1–206/2013-1086

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के0 सेंथिल कुमार (भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
मगध विश्वविद्याल, बोध गया।

पटना, दिनांक 11/6/2015

विषयः– मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के परिसर में विश्वविद्यालय के भूमि पर Convention Centre एवं Five Star Hotel निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 22/14 दिनांक 11.09.2014 के समीक्षोपरान्त विभागीय स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय की भूमि का उपयोग विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत पठन–पाठन के लिए ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मेसर्स फूट स्टेप्स ऑफ बुद्धा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को Convention Centre एवं Five Star Hotel निर्माण हेतु विश्वविद्यालय की भूमि को लीज पर दिया जाना नियमसंगत नहीं है।

अतः भूमि लीज किए जाने के संदर्भ में उक्त फर्म से किए गए करार को निरस्त किया जाय। इसी प्रसंग में पूर्व में विभागीय स्तर से निर्गत पत्रांक 1810 दिनांक 14.09.2009 को निरस्त समझा जाय। इस कार्य हेतु यदि कंपनी द्वारा कोई राशि जमा करायी गयी है तो उक्त राशि को भी नियमानुसार वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

11/6

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

11/6